[Shri Ram Niwas Mirdha]

to the production of silk in the country which we really need.

Then a lot of other things. . .

डा० रत्नाकर पाण्डेय: उपसभाध्यक्ष जी, मैंने. . .

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय): पहले सुन तो लीजिये. . . **(व्यवधान)**. .

श्री राम निवास मिर्धा: माननीय सदस्यों ने जो बातें कहीं हैं उन पर कार्यवाही की जायेगी। अभी मैं उन सब प्रश्नों का उत्तर दूं तो यह सदन में संभव नहीं है . . **(व्यवधान)** . . . हम पूरी कोशिश करेंगे और जो शिकायतें हैं उन की जांच करायेंगे।

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय): सुबह कुछ माननीय सदस्यों ने श्रम जीवी पत्रकारों के संबंध में जो बछावत आयोग है उसके बारे में प्रश्न उठाये थे। माननीय श्रम उप-मंत्री जी ने कहा कि वे इस बारे में 5 बजे के बाद सदन को जानकारी देंगे। इस समय श्रम मंत्री श्री बिंदेश्वरी दुबे जी उपस्थित हैं वे कृपया स्पष्ट करें।

DR. YELAMANCHILI SIVAJI: The Minister was about to mention regarding cotton growers and suddenly he has deviated.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA): We have concluded that item now . . . *(Interruptions)* . . . Kindly take your seat.

RE. SUBMISSION OF BACHAWAT REPORT

श्रम मंत्री (श्री बिंदेश्वरी दुबे): महोदय, पूर्वान्ह में सदन में वर्किंग जर्नलिस्ट और नान-वर्किंग जर्नलिस्ट इम्पलाईज के वेजेज के संबंध में माननीय सदस्यों ने चर्चा की थी और उस संबंध में उप श्रम मंत्री ने कुछ जानकारी दी थी। लेकिन संभवतः उससे माननीय सदस्यों को संतोष नहीं हुआ। उपसभापति जी ने निर्देश दिया था कि शाम तक इस संबंध में निश्चित जानकारी दी जाय। वस्तुस्थिति यह है कि ये दोनों वेज बोर्ड जिसके चेयरमैन जस्टिस बछावत हैं उनको 31.3.89 तक अपनी रेकमंडेशंस देनी थी।

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय): यानी आज तक।

श्री बिंदेश्वरी दुबे: 27.3.89 को उन्होंने अपने पत्र द्वारा, जो कि श्रम मंत्री को संबोधित है, सूचना दी है कि वेज बोर्ड के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया कि हम लोगों की पूरी कोशिश के बावजूद भी इस काम को 31 मार्च तक पूरा नहीं कर पायेंगे और इसलिये सरकार से इस बात के लिये अनुरोध किया जाय कि सरकार दो माह की अवधि वेज बोर्ड की और बढ़ा दे। उस सर्वसम्मत प्रस्ताव को संलग्न करते हुए जस्टिस बछावत जी ने लिखा है कि अब करीब-करीब सिफारिशें जो हैं वे पूरी होने को हैं। लेकिन कतिपय कारणों से वे पूरी नहीं हो सकी हैं और उन्होंने अनुरोध किया है कि 31 मई तक वेज बोर्ड का कार्यकाल बढ़ा दिया जाय। उसमें उन्होंने यह भी लिखा है कि निश्चित तौर पर 31 मई के पूर्व ही वे अपनी सिफारिशें सरकार को दे देंगे। जस्टिस बछावत के अनुरोध पत्र पर सरकार विचार कर रही है और वह विचाराधीन है। शीघ्र ही उस पर सरकार यथोचित निर्णय लेगी।

SHRI RAOOF VALIULLAH: Mr. Vice-Chairman, the Minister has categorically stated that he is not going to give extension to the Bachawat Commission. Now, the hon. Minister says that it is under consideration.

Secondly, I want to know how many times this Commission has got extension. Now he says that the Commission is going to give its report by the 31st May, 1989. What is the guarantee that it will submit its report by the 31st of May, 1989?

SHRI KAMAL MORARKA (Rajasthan): I have got a different point.

जितनी जानकारी अभी मंत्री जी ने दी है वह सवेरे मालवीय जी ने दे दी थी। उन्होंने कहा था कि इसकी अवधि समाप्त हो रही है।

तो सवेरे सदन बिलकुल चिन्तित था कि आज अगर अवधि समाप्त हो रही है तो कब निर्णय लेंगे। इसको बढ़ा रहे हैं या नहीं बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सात बार बढ़ा चुके हैं अब बचावत साहब चाहते हैं कि आठवीं बार अवधि बढ़ा दी जाए।

डा० रत्नाकर पाण्डेय: रात के बारह बजे तक 31 मार्च है।

श्री कमल मोरारका: पाण्डेय जी आप बुजुर्ग सदस्य हैं मैं आपके साथ बहस नहीं करना चाहता हूँ। यह सरकार को चलाने का कोई तरीका नहीं है। माफ करिये। रात के बारह बजे तक सदन बैठने वाला नहीं है। आज तक यह सरकार के विचाराधीन है। जब तक सरकार तय करेगी तब तक बचावत साहब काम करेंगे या नहीं करेंगे यानी एक्सटेंशन इज़ टेकन फार ग्रांटिड। बचावत साहब जानते हैं ख़त लास्ट मूमेंट पर भेज दिया, वर्किंग जर्नलिस्ट अपने घर बैठे, 31 मई तक कर देंगे, 28 मार्च को सर्वसम्मति से लिख दिया, यह बहुत अफसोसजनक है। मैं इसे रिकार्ड पर लाना चाहता हूँ, सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय): दुबे जी एक बात बतलाइये ज़स्टिस बचावत का जो पत्र है कि उनका टर्म बढ़ा दिया जाए इस पत्र पर सरकार कब तक निर्णय ले लेगी?

श्री बिंदेश्वरी दुबे: उपसभाध्यक्ष जी, 27 मार्च को उन्होंने पत्र भेजा है और 27 मार्च शाम को सरकार को यह प्राप्त हुआ है। महोदय, आप जानते हैं कि जस्टिस बचावत या उनके लिए जो सपोर्टिंग स्टाफ है उनकी अवधि बढ़ाने के लिए कुछ औपचारिकताएं पूरी करने की आवश्यकता है। श्रम विभाग **(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय): उन्होंने दो महीने का समय मांगा है आप रफ आइडिया दे दीजिये।

श्री बिंदेश्वरी दुबे: जैसे कि मैंने कहा है कि सरकार निर्णय लेती है तो उसमें कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती हैं। श्रम मन्त्रालय निर्णय नहीं ले सकता है वह केबीनेट की अप्वाइंटमेंट कमेटी के पास श्रम मन्त्रालय का प्रस्ताव जाएगा अन्तिम तौर पर केबीनेट उस पर निर्णय लेगी। 27 तारीख शाम को हमें उनका पत्र मिला है। जैसे कि मैंने निवेदन किया है यथाशीघ्र इस संबंध में हम निर्णय लेंगे ताकि काम में कोई हानि न पहुंचे।

SPECIAL MENTIONS

Lack of Landing Aids on Alternate Runway at Bombay Airport

SHRI KAMAL MORARKA (Rajasthan): Sir, I want to bring to the notice of this House a very serious situation about the lack of electronic equipment at the airports. The Committee on Public Undertakings, in its 54th report presented recently, has pointed this out and I will just read out two excerpts of the report of the Committee on Public Undertakings. The first is, the Committee are astonished with the explanation given by the Government that as per the standard laid down by the ICAO, provision of instrumental landing has not been considered as a mandatory requirement for safe landing of jet aircraft and also that the provision of ILS facility is a costly proposition and with the limited resources available, cannot be provided at all airports in the country. The second excerpt is, "the Government's reply is silent with regard to the operation of Category-II Lighting facilities and Category-II ILS at Bombay airport. The Committee takes a serious view of the delay on the part of the IAAI and NAA in implementing the recommendations of the Committee in letter and spirit and desires that Category-II ILS system provided at Bombay and Delhi airports should be made operational without further delay and the Committee apprised of the latest position in the matter within three months of the presentation of the report in Parliament." Now, this is the finding of the Committee on Public Undertakings. Now, what has happened is something worse. There was some sort of instrument landing system, the old one at Bombay airport. Now, that is available only on one runway. That runway needs recarpetting. It has beer taken up for repairs. So, all aircraft